

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 233]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 अगस्त 2025—श्रावण 30, शक 1947

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2025

क्रमांक: I/441289/2025 मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 87 और धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 115 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के 'मध्यप्रदेश राजपत्र' में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनांक का अवसान होने पर उक्त संशोधन प्रारूप पर विचार किया जायेगा।

किसी भी आपत्ति या सुझाव हो, पर जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के या उसके पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 107 में -

(1) अनुसूची दो में, अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

"3. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध-

1. किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को बाथ पर नियोजित या कार्य करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
2. किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ के उपबंधों विरुद्ध नियोजित नहीं किया जायेगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिये स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जायेगा।"
3. अनुसूची तीन में, अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् -:

"3. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध -

1. किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को सीसे की किसी भी प्रक्रिया में या किसी कक्ष जिसमें सीसे के अपरिष्कृत आक्साइड का अभिसाधन या लेपन कार्य किया जाता हो, नियोजित या कार्य करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
2. किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जायेगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिये स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जायेगा।"
3. अनुसूची चार में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित किए जाएं, अर्थात् -:

"4. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध -

1. किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को अनुक्रमांक 3 में विनिर्दिष्ट की गई किन्हीं भी संक्रियाओं में या किसी भी स्थल पर, जहाँ ऐसी संक्रियाएं की जाती हो, नियोजित या कार्य

करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

2. किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जायेगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिये स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जायेगा।”।

4. अनुसूची छ: में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात :-

“4. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध -

1. किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को अनुक्रमांक 3 में विनिर्दिष्ट की गई किन्हीं भी संक्रियाओं में नियोजित या कार्य करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

2. किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जायेगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिये स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जायेगा।”।

5. अनुसूची- सात में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित किए जाएं, अर्थात:-

“1. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध -

1. किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को किसी भी ऐसे भवन में, जिसमें पेट्रोल से पेट्रोल गैस का उत्पादन किया जाता हो, नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा या प्रवेश करने के लिये अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जायेगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिए स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जायेगा।”।

6. अनुसूची- दस में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित किए जाएं, अर्थात :-

“4. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में निर्बंधक -

1. किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को सीसे की किसी भी प्रक्रिया में नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

2. किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जायेगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिये स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जायेगा।

7. अनुसूची- ग्यारह में, भाग नौ के स्थान पर, निम्नलिखित भाग स्थापित किया जाएं, अर्थात :-

“भाग-नौ

“18 वर्ष से कम उम्र के अल्पवय व्यक्तियों तथा गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों के नियोजन पर रोक।

1. किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को, गर्भवती स्त्री या स्तनपान कराने वाली माता और युवा व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनुसूची ग्यारह की परिशिष्ट ‘क’ में सम्मिलित किन्हीं भी प्रक्रियाओं में नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

2. किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जायेगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिये स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जायेगा।”।

8. अनुसूची- बारह में, अनुक्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित किए जाएं, अर्थात :-

“5. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा तरुण व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध-

1. किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को अनुक्रमांक 2 में विनिर्दिष्ट किसी भी संक्रिया में या किसी भी स्थान पर, जहां ऐसी संक्रियाएं की जाती हो, नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
2. किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जायेगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिये स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जायेगा।

9. अनुसूची- अठारह में, अनुक्रमांक 15 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित किए जाएं, अर्थात :-

“15. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध-

1. किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को विलायक निस्सारण संयंत्र में नियोजित या कार्य करने के लिये

अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

2. किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जायेगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिये स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जायेगा।”

10. अनुसूची- बीस में, अनुक्रमांक 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित किए जाएं, अर्थात:-

“8.गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध-

1. किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को किसी भी मेंगनीज प्रक्रिया में नियोजित नहीं किया जाएगा या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
2. किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जायेगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिये स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जायेगा।

11. अनुसूची- इक्कीस में, अनुक्रमांक 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित किए जाएं, अर्थात:- **“6.गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध-**

- (1) किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को किसी भी ऐसे कक्ष में, जिसमें बेन्जीन या बेन्जीयुक्त पदार्थों में उच्छन्न होना अन्तर्वलित हो, नियोजित या कार्य करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (2) किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित

मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जायेगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिये स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जायेगा।

(12) अनुसूची- बाईस में, अनुक्रमांक 3 में बिन्दु (क) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

" (क).गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध-

(एक) किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को पतथरों को काटने या पतथरों पर खांचा बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मशीनों पर नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(दो) किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जायेगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिये स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जायेगा।

13. अनुसूची- तेईस में, अनुक्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

"5.गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध-

1. किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को किसी ऐसे कक्ष में जहां कि उक्त प्रक्रियाएं की जा रही हो या किसी ऐसे कक्ष में, जहां खतरनाक कीटनाशक भण्डारित हो, नियोजित या कार्य करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
2. किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जायेगा तथा

उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिये स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जायेगा।

14. अनुसूची- चौबीस में, अनुक्रमांक 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

“8.गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध-

1. किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को किसी ऐसे कक्ष में, जिसमें उक्त प्रक्रियाएं की जाती हो, नियोजित या कार्य करने लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

2. किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जायेगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिये स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जायेगा।

No.1/441296/2025 The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Factories Rules 1962, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 87 and Section 112 of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948) is hereby published as required by Section 115 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of 45 days from the date of publication of this notice in the “Madhya Pradesh Gazette”.

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

AMENDMENT

In the said rules- In rule 107,-

(1) In Schedule II' for serial number 3 and entries relating there to] the following serial number and entries relating there to shall be substituted, namely:-

“3. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons. -

(1) No pregnant or lactating women, adolescent or

child shall be employed or permitted to work at a bath.

(2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months."

(2) In Schedule III' for serial number 3 and entries relating there to, the following serial number and entries relating there to shall be substituted, namely:-

"3. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons. -

(1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in any lead process or in any room in which the manipulation of raw oxide or lead or pasting is carried on.

(2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months.

(3) In Schedule IV' for serial number 4 and entries relating there to, the following serial number and entries relating there to shall be substituted, namely:-

"4. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons. -

(1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in serial number 3 or at any place where such operations are carried on.

(2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months.

(4) In Schedule VI, for serial number 4 and entries relating there to, the following serial number and entries relating there to shall be substituted, namely:-

"4. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons. -

(1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in serial number 3.

(2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months.

(5) In Schedule VII, for serial number 1 and entries relating there to, the following serial number and entries relating there to shall be substituted, namely:-

"1. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons. -

(1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in or shall be allowed to enter any building in which the generating of petrol gas from petrol is carried on.

(2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months.

(6) In Schedule X, for serial number 4 and entries relating there to, the following serial number and entries relating there to shall be substituted, namely:-

"4. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons. -

(1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in any lead process.

(2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months."

(7) In Schedule XI, for Part IX, the following Part shall be substituted, namely:-

Part -IX

"Restriction on the employment of young persons under 18 years of age and pregnant or lactating women.

(1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in any of the processes covered in Appendix 'A' of the Schedule XI on consideration of health and safety of Pregnant woman and lactating mother and young persons.

(2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months."

(8) In Schedule XII, for serial number 5 and entries

relating there to, the following serial number and entries relating there to shall be substituted, namely:-

"5. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons. -

(1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in any of the operation specified in serial number 2 or at any place where such operations are carried on.

(2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months."

(9) In Schedule XVIII, for serial number 15 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

"15. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons. -

(1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in the solvent extraction plant.

(2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months."

(10) In Schedule XX, for serial number 8 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

"8. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons. -

(1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in any manganese process.

(2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months."

(11) In Schedule XXI, for serial number 6 and entries

relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

"6. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons. -

(1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in any work-room involving exposure to benzene or substances containing benzene.

(2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months."

(12) In Schedule XXII, for serial number 3, for point (a) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

(a). Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons. -

(i) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in the machines used for cutting the stones or making grooves on the stones.

(ii) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months."

(13) In Schedule XXIII, for serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

"5. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons. -

(1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in any room in which the said processes are carried on or in any room in which dangerous pesticide is stored.

(2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy

and lactation period for 6 months.”

(14) In Schedule XXIV, for serial number 8 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“8. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons. -

(1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in any room in which the said processes are carried on.

(2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत कुर्रे, अपर सचिव.